परिपत्र संख्या 13/11

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,
"कर–भवन", अजमेर

कमांकः एफ–7(109)जन/11/ 2265 | दिनांकः 23-8-11

परिपत्र

विषयः लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण के संबंध में।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 (3) सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम–64 (1) में राज्य सरकार को ऐसे कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित करने का अधिकार है जहाँ पर सम्पत्ति संबंधी एवं अन्य दस्तावेज निष्पादित होते हैं अथवा प्रस्तुत होते हैं एवं जिन पर मुद्रांक शुल्क देय है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 (1) से (2), (4) एवं धारा–85 के अन्तर्गत लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किये हुए हैं।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दिनांक 16.12.97 से केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है।

लोक कार्यालयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

उपरोक्त लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों का यह दायित्व है कि उनके समक्ष कोई ऐसा दस्तावेज आये या निष्पादित हो जो मुद्रांकित होना चाहिए, किन्तु अमुद्रांकित है अथवा अपूर्ण मुद्रांकित है तो उसे पूर्ण मुद्रांकित करावें अथवा यदि पक्षकार पूर्ण मुद्रांकन से मना करे तो उस दस्तावेज को पूर्ण मुद्रांकन हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) को रेफरेन्स करें।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37 (4) के प्रावधान की पालना करना लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है। उक्त बाध्यकारी प्रावधान की पालना नहीं करने के कारण महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों में तथा सी.ए.जी.द्वारा अपनी विभिन्न रिपोर्टस में गंभीर आक्षेप अंकित करते हुए उल्लेख किया गया है कि लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करवाने के विभिन्न दायित्वों में विफल हुए हैं।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं सी.ए.जी.रिपोर्टस में पदीय दायित्वों के निर्वहन में असफलता से संबंधित आक्षेपों की पालना के क्रम में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी संबंधित विभागों का दायित्व है। इसके संबंध में प्रथमतः लोक कार्यालय घोषित विभागों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि उनके कार्यालय से निष्पादित होने वाले दस्तावेज यथाविधि पूर्ण मुद्रांकित होकर ही निष्पादित हों, द्वितीय उन्हें प्राप्त होने वाले अपूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों को पूर्ण मुद्रांकित करवाना चाहिए।

जिन दस्तावेजों के संबंध में ऑडिट का आक्षेप हुआ है, उनसे संबंधित पक्षकारों को नोटिस देकर शेष मुद्रांक शुल्क की वसूली करनी चाहिए। वसूली जरिये चालान बैंक में विभागीय **आय मद–0030–स्टाम्प एवं पंजीकरण में जमा करवाई जा सकती है।** वसूली होने पर उसका पूर्ण विवरण देते हुए दस्तावेज पर पूर्ण मुद्रांकन का नोट अंकन करने हेतु संबंधित कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रेषित करना चाहिए। यदि संबंधित पक्षकार ऑडिट आक्षेप अनुसार कमी मुद्रांक शुल्क की पूर्ति नहीं करते हैं तो तामिलशुदा नोटिसों की प्रतियों के साथ, पक्षकार के अभ्यावेदन के साथ प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को भेजना चाहिए।

अतः सभी लोक कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनके कार्यालयों से संबंधित इस प्रकार के कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क के ऑडिट आक्षेपों/सी.सी.जी.रिपोर्टस के पैराज के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

किसी भी कार्यवाही के दौरान उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों जिनमें स्टाम्प अधिनियम के प्रावधनानुसार मुद्रांक कर का भुगतान नहीं किया हुआ है तो ऐसे दस्तावेजों को इम्पाउण्ड कर कलक्टर (मुद्रांक) को वसूली की कार्यवाही के लिए भिजवायें।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा–85 के अनुसार लोक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी का यह दायित्व है कि उसके यहाँ संधारित रजिस्टर, पुस्तक, रिकार्ड, पेपर दस्तावेज, प्रोसिडिंग का निरीक्षण कलक्टर (मुद्रांक) या इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को करावें तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज/रिकार्ड की प्रतियाँ भी उपलब्ध करावें।

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक)/समस्त उप महानिरीक्षक/समस्त उप पंजीयक के पालनार्थ :–

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.31(12)न्याय/85 दि. 6.9.94 द्वारा नोटरी नियम 1956 के नियम 11(5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों में राज्य सरकार द्वारा नोटरी द्वारा संदत्त रजिस्टरों के निरीक्षण हेतु उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) तथा उप पंजीयक को नियुक्त करते हुए यह अधिकार प्रदान किया है कि अनियमितता पाये जाने पर नोटरी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु पाबन्द किया गया है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के विभिन्न प्रतिवेदनों में लोक कार्यालयों के निरीक्षण नहीं किये जाने की विफलता को मध्यनजर रखते हुए राजस्व हानि को उजागर किया गया है। जनलेखा समिति की विभिन्न साक्ष्यों बैठकों एवं अभी हाल ही में 19 एवं 20 जुलाई, 2011 को आयोजित बैठक में भी इसे गम्भीरता से लिया है।

विभाग द्वारा समय–समय पर परिपत्र/पत्र आपको प्रेषित कर लोक कार्यालयों का प्रभावी निरीक्षण एवं प्रभावी निरीक्षण करने एवं उनके यहाँ निष्पादित ऐसे विभिन्न दस्तावेज जिन पर मुद्रांक विधि के प्रावधानों के तहत मुद्रांक शुल्क देय है, की सूचना प्राप्त कर ऐसे दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क की वसूली करने एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–17 के तहत अनिवार्य पंजीयन योग्य दस्तावेज पाये जाने पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–55 के तहत प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये हैं। विभाग द्वारा अब तक जारी विभिन्न परिपत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1. परिपत्र संख्या (1/98) क्रमांक एफ.7(35)जन/97/84–492 दि. 9.1.98
2. पत्र क्रमांक एफ.6/निरीक्षण/मिटिंग/1578–90 दिनांक 20.10.05
3. परिपत्र क्रमांक एफ.6(1)विविध/निरीक्षण/49–419 दिनांक 20.10.05
4. परिपत्र संख्या (26/10) क्रमांक एफ.6(1)विविध/निरीक्षण/594–1011 दिनांक 31.8.10
5. पत्र क्रमांक एफ.6(1)विविध/निरीक्षण/910–922 दिनांक 6.9.11
6. परिपत्र संख्या (37/10) क्रमांक एफ.6(1)विविध/निरीक्षण/1315–1765 दिनांक 2.11.10
7. पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 का परिपत्र संख्या 24/09

जिन मामलों में दस्तावेजों का पंजीयन तो आवश्यक नहीं है, किन्तु राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में वर्णित प्रावधानों एवं समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत मुद्रांक शुल्क देय है, उन मामलों में भी देय मुद्रांक शुल्क वसूल करने की कार्यवाही की जानी है। ऐसे कुछ मुख्य–मुख्य क्षेत्र जिन पर वृताधिकारियों/उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क वसूली की दृष्टि से प्रथमतः विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है वे निम्नानुसार हैं :–

1. निगमों/कम्पनियों द्वारा लिये जाने वाले ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों पर, दस्तावेज की प्रकृति के अनुसार राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–5, 6 व 50 के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है।

2. विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाहन क्रय, आवास क्रय व अन्य ऋण के संबंध में निष्पादित दस्तावेजों पर राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल-5 (bbb), 6, 32, 50 के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.2(22)वित्त/कर/03-5 दिनांक 20.5.04 द्वारा ऋण के समनुदेशन (डिप्ट असाइनमेंट) के संबंध में निष्पादित दस्तावेज पर देय मुद्रांक शुल्क घटाकर अधिकतम ₹ 2 लाख के अध्यधीन रहते हुए ऋण राशि कस 0.1 प्रतिशत किया हुआ है। अतः उपरोकत अनुसार मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. बिना कब्जे के इकरारनामे, कम्पनियों का संगम, डवलपर एग्रीमेंट इत्यादि जिन पर क्रमशः आर्टिकल-5 (bb), 36 एवं 5 (bbbb) के अनुसार मुद्रांक शुल्क देय है।
5. पब्लिक नोटरी से, बैकों से एवं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से लगातार सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करके ऐसे दस्तावेजों की सूचना प्राप्त कर, जिन पर मुद्रांक विधि के प्रावधानानुसार मुद्रांक शुल्क देय है, पर मुद्रांक शुल्क वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करना।

अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए लोक कार्यालयों के प्रभावी निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जावे। आपके द्वारा प्रदर्शित परिणामों की विभाग द्वारा वृताधिकारियों की समय-समय पर आयोजित होने वाली बेठकों में भी समीक्षा की जाकर समीक्षानुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में अंकन किया जावेगा एवं किसी अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांकः एफ-7(109)जन/11/ 22652-23200 दिनांकः 23-9-11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रतिलिपि निम्नांकित शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्रानुसार पालना के निर्देश देने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित है :-
   1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन विकास विभाग, जयपुर/ सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
   2. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DISCOM) जयपुर/ जोधपुर/अजमेर।
   3. प्रबन्ध निदेशक, अक्षय ऊर्जा निगम, जयपुर।
   4. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड/ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर।
   5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
   6. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICo) जयपुर।
   7. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर।
   8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खनिज एवं खान लिमिटेड (RSMM Ltd.)वित्त निगम, जयपुर।
   9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
   10. पंजीयक, सहकारी समितियॉं, जयपुर।
   11. पंजीयक, कम्पनीज भारत सरकार, जयपुर।
   12. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
   13. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/सिंचाई विभाग, जयपुर।
   14. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
   15. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/कोटा।
   16. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास।
   17. रजिस्ट्रार कम्पनीज, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि परिपत्र की प्रतियॉं पालनार्थ समस्त निगमित व अनिगमित कम्पनियों को उपलब्ध कराने का श्रम करें एवं कम्पनीज के संबंध

में जारी/प्राप्त दस्तावेज जिनका पूर्ण मुद्रांकन आवश्यक है उनका पूर्ण मुद्रांकन अवश्य करावें।

4. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamp.gov.in पर अपलोड हेतु।
5. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
6. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
8. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
10. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर/समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थित लोक कार्यालयों को इस परिपत्र की प्रति पालना हेतु शीघ्र उपलब्ध करवकार उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। समस्त लोक कार्यालय यथा-
    1. केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय।
    2. राज्य सरकार के समस्त कार्यालय।
    3. केन्द्र सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशाषी संस्थायें।
    4. राज्य सरकार के समस्त निगम एवं स्वायत्तशाषी संस्थायें।
    5. नगर पालिका/नगर परिषद/नगर सुधार न्यास/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं आवासन मण्डल के समस्त कार्यालय।
    6. दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय।
    7. समस्त पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यालय।
    8. नोटरी अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नियुक्त नोटरी के कार्यालय।
    9. शपथ आयुक्त के कार्यालय।
11. समस्त उप पंजीयक, राजस्थान।
12. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
13. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
14. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
15. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
16. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
17. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
18. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर